भजनलाल आदि बनाम रिछपाल

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

ा0न0 –232/2025

ानवान : –

1. भजनलाल पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रघुवीर पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

:–वादीगण

बनाम

1. रिछपाल पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी साहूवाला, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

:–प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील ादीगण श्री श्यामसुन्दर शर्मा व वकील प्रतिवादी श्री सुभाष शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु ्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ाद पत्र में वर्णित रिछपाल के नाम से चक 9 ए.एम.एस. के खाता संख्या 141/132 में कुल 3. 922 हैक्टर आराजी के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 रिछपाल का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) भादरा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। भमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैर मुमकिन) पूर्वानुसार रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

(भागीरथ राम)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:57:27 IST
Reason: SelfAttested